

उनवान:- मुनेष बनाम पानबाई वगै०
दावा बावत घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा

| दिनांक | फर्द अहकाम |
|---------------------------------|---|
| 17 ¹ / ₂₅ | <p>वादी की ओर से श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट ने दावा बावत स्थायी निषेधाज्ञा के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया, अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये तहसीलदार टोडाभीम एवं तहसील क्षेत्र से बाहर के रजिस्टर्ड डाक द्वारा नोटिस से तलब कर पत्रावली दिनांक 17.02.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">(पूजा मीना) उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला करौली</p> |
| 17 ² / ₂₅ | <p>पत्रावली फेरम हुरी वादी व वादी वकील न्यायालय द्वारा बार-बार शिकायत दिखवाये जाने से वाक्यूफ सिमुपक्षित न्यायालय रहने से वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा बावत घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा ऊदम हाजरी ऊदम फेरकी स्वारीज किया जाता है।</p> <p>पत्रावली फेरम शुमार प्रभर से फल क्षेत्र वाक्यूफ दफ्तर है।</p> |

87-93
17/11/25

